

302 काय से बाहर है। अवकाश पर है / पधारिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29.10.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10
29
22

उभय पक्ष उपस्थित पीतासीन अधिकारी राजवनीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पधारिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 29.10.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

12.11.22

पत्रावली - चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप माण्डल
में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी विपक्षी
सं. 1 के विरुद्ध कोर्ट कार्यवाही नर्था-बाहते हो अप्रार्थी सं.
2 लगायत 7 के सम्मन बाद तामिल येकर जात हुए जिसे
शा-पठ किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
जाकर निर्णय वृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल सुमान होकर नम्बर से
रुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 171/22 प्रा.पत्र

॥ देवा ३/०३ श्री केशवजी निवासी - ककराडिया तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

॥ लाडु ३/०३ श्री फुला देवी निवासी - ककराडिया तहसील माण्डल (करीब)
(धारा 111-128)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 12.11.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
क ग्राम ककराडिया पटवार हल्का ककराडिया तहसील माण्डल में उसके
वत् खाते की आराजी नं. 2017/1135, 2105/1122 कुल किता 04 रकबा 1 5176
घत हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
के आदेश प्रदान कराये जावें।


इना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ककराडिया पटवार
ककराडिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2017/1135, 2105/1122, 2106/1122
04 रकबा 1 5176 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
ककराडिया को 600/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार
गढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा